राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5209/2019

समीना बानो उर्फ सलमा पुत्री श्री फकीर मोहम्मद रंगरेज, आयु लगभग 27 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए : श्री धनेश सरस्वत

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री बी. एल. भाटी -ए.ए.जी की ओर से श्री संदीप सोनी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>03/04/2025</u>

1. समीना बानो, यह दावा करते हुए कि वह तलाक-ए-बिद्त (तीन तलाक) के फलस्वरूप एक तलाकशुदा महिला है, स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए तलाकशुदा महिलाओं के लिए बनाई गई विशेष श्रेणी में विचार किए जाने के लाभ की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष आई है। अपनी इस याचिका में वह निम्नलिखित अनुतोष की मांग करती हैं :-

> *"(a) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 (अनुलग्नक-10) के माध्यम से याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को निरस्त करने वाले आदेश को और राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक सीधी भर्ती, 2018 गैर-टी.एस.पी. क्षेत्र स्तर-द्वितीय के अनुसरण में याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति से इंकार किये जाने को अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने का आदेश दिया जावे और;*

(b) प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के तलाक की डिक्री दिनांक 27.02.2019 (अनुलग्नक-2) को उसके तलाकनामे दिनांक 25.12.2014 (अनुलग्नक-1) के साथ मिलाकर विचार करने के लिए निर्देशित किया जावे, जिसके आधार पर न्यायालय ने डिक्री पारित की है और याचिकाकर्ता के तलाक की वास्तविक तिथि को उसके तलाकनामे की दिनांक 15.12.2014 (अनुलग्नक-1) के रूप में माना जावे, जो कि विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 25.08.2018 से पूर्व की है और तदनुसार प्रत्यर्थीगण को राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक सीधी भर्ती, 2018 गैर-टी.एस.पी. क्षेत्र स्तर-द्वितीय के अनुसरण में, जिला भीलवाड़ा में तलाकशुदा श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य जैसा कि अभिवाक् किया गया है, इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता का विवाह (निकाह) दिनांक 16.04.2014 को मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार किसी श्री आबिद हुसैन के साथ संपन्न हुआ था। बाद में, याचिकाकर्ता को उसके पति द्वारा दिनांक 25.12.2014 को दो साक्षियों की

उपस्थिति में तीन तलाक उच्चारित करते हुए तलाक दे दिया गया था, जो मुस्लिम स्वीय विधि में तलाक का एक स्वीकार्य तरीका है। याचिकाकर्ता ने तलाक को स्वीकार कर लिया और अपना मेहर भी प्राप्त कर लिया है। उक्त तलाक को दिनांक 25.12.2014 के एक तलाकनामे के माध्यम से लिखित किया गया था, जिस पर पति और पत्नी दोनों और साथ ही दो साक्षियों द्वारा भी विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।

2.1 इसलिए यह दावा किया जाता है कि दिनांक 25.12.2014 से, तलाकनामे के आधार पर, याचिकाकर्ता एक तलाकशुदा महिला है और कानूनी रूप से पुनर्विवाह के लिए हकदार है। दिनांक 25.12.2014 का तलाकनामा उसके तलाक का एक वैध और विधिपूर्ण प्रमाण है, जो मुस्लिम स्वीय विधि के तहत स्वीकार्य है। प्रत्यर्थीगण ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत विज्ञापन संख्या 3/2018 दिनांक 31.07.2018 द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षक (लेवल-II) के रिक्त पदों को विज्ञापित किया था, जिसमें आवेदन करने की कट-ऑफ तिथि 25.08.2018 थी। इसके बावजूद, उक्त दिनांक 25.12.2014 के तलाकनामे के आधार पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.08.2018 को सिविल न्यायालय, मालपुरा के समक्ष घोषणा के लिए एक दीवानी वाद दायर किया।

दीवानी वाद में, दिनांक 25.12.2014 के तलाकनामे को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका पूर्व पति द्वारा विरोध नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता तथा उसके पिता द्वारा भी इसे सत्यापित किया गया था। सिविल न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तलाक को विधिपूर्ण स्वीकार किया और दिनांक 27.02.2019 को याचिकाकर्ता के पक्ष में तलाकनामे को कानूनी और वैध घोषित करते हुए घोषणा पारित की।

2.2. याचिकाकर्ता के पास राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.एड. की डिग्री तथा कला में स्नातकोत्तर की डिग्री है। याचिकाकर्ता उपस्थित हुई और उसने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) 2017 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।

2.3. अर्हित होने से याचिकाकर्ता ने विद्यालय शिक्षक (स्तर-II) के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया। दिनांक 05.03.2019 की योग्यता सूची के अनुसार उसे नियुक्ति के विचारार्थ शॉर्टलिस्ट किया गया।

2.4. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपने तलाकनामा दिनांक 25.12.2014 के आधार पर तलाकशुदा महिला की श्रेणी के अंतर्गत आती है। हालांकि, प्रत्यर्थीगण ने तलाकनामा दिनांक 25.12.2014 के आधार पर याचिकाकर्ता के तलाक की तिथि को स्वीकार नहीं किया, बल्कि केवल तलाक की डिक्री की तिथि दिनांक 27.02.2019 पर विचार किया। तदनुसार, उन्होंने याचिकाकर्ता

की अभ्यर्थिता को आक्षेपित आदेश दिनांक 11.03.2019 के द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसकी अदालती डिक्री दिनांक 27.02.2019 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, अर्थात् 25.08.2018 के बाद की है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत है।

3. जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया अभिमत यह है कि विज्ञापन में तलाकशुदा महिला श्रेणी में लाभ के पात्र होने के सम्बन्ध में दी गई शर्त बहुत स्पष्ट है और इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित पद के लिए विज्ञापन के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि से पूर्व सक्षम न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री पारित हो। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन जारी होने के बाद तलाक की डिक्री प्राप्त करने हेतु विद्वान न्यायालय का रुख किया। अभिलेखों पर यह स्वीकार्य स्थिति है कि वर्तमान मामले में तलाक की डिक्री दिनांक 27.02.2019 को पारित की गई थी अर्थात् ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात्। दिनांक 27.02.2019 की डिक्री अभिकथित तलाकनामा दिनांक 25.12.2014 से प्रभावी नहीं हो सकती।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने उभयपक्षों के अधिवक्तागण को सुना तथा मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है।।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता, पात्र होने और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 25.08.2018 से पूर्व, तलाकनामा दिनांक 25.12.2014 द्वारा मुस्लिम स्वीय विधि के तहत अपने तलाक का वैध प्रमाण रखने के कारण, स्कूल शिक्षक (लेवल-।।) के पद पर नियुक्ति की हकदार है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को निरस्त किया जाना अन्यायपूर्ण है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

5.1. अधिवक्ता आगे यह दावा करते हैं कि तलाक का वैध प्रमाण अर्थात् तलाकनामा दिनांक 25.12.2014, सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और इस प्रकार दिनांक 27.02.2019 को डिक्री जारी की गई थी। चूंकि डिक्री तलाकनामा से पहले की तिथि से ही संबंधित है इसलिए डिक्री की तिथि 27.02.2019 के बजाय तलाकनामा की तिथि (25.12.2014) को ही प्रासंगिक तिथि माना जाना चाहिए। अतः, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तलाक के वैध प्रमाण के साथ एक तलाकशुदा होने के नाते याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

5.2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ***राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मदीना बानो*** में खंडपीठ के निर्णय का हवाला देते हैं, जहां इस न्यायालय ने यह बरकरार रखा

था कि सक्षम न्यायालय की औपचारिक डिक्री के बिना भी तलाकनामा (तलाक का दस्तावेज) वैध है। उनका तर्क है कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तलाकनामा पर केवल संदेह किसी व्यक्ति की अभ्यर्थिता को निरस्त करने के लिए अपर्याप्त है, किसी भी संदेह की उचित रूप से जांच की जानी चाहिए और उसे निष्कर्ष तक पहुँचाया जाना चाहिए।।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ***सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर बनाम संगीता वरहात*** में दिए गए एक पश्चातवर्ती खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा करते हैं। जिसका प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"14. हमारा यह सुविचारित मत है कि महिला अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ डेट आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को तलाकशुदा महिलाओं के आरक्षित कोटे के विरुद्ध आरक्षण का दावा करने के लिए तलाक की डिक्री की आवश्यकता एक अनिवार्य शर्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिक्री के अभाव में उक्त श्रेणी के विरुद्ध अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी प्रथा को भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले निबंधनों और शर्तों अधिभावी करने की अनुमति नहीं दी जा*

सकती। भर्ती के निबंधन और शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समाहित आदेश का पालन करने के लिए तैयार की जाती हैं, जो सभी नागरिकों को रोजगार के मामले में उनकी उन्नति के लिए समान अवसरों की गारंटी देते हैं।"

15. अनुसूचित जनजाति/जनजाति उप योजना से संबंधित अभ्यर्थियों को वैवाहिक विवादों का फैसला करने की अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री अभिप्राप्त करने से प्रवारित नहीं किया गया है। उनके समुदायों में प्रचलित प्रथाओं के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिक्री प्रस्तुत करने से छूट नहीं मांगी जा सकती है। किसी विशेष समुदाय में प्रचलित प्रथाओं/रीति-रिवाजों को एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया के निबंधनों और शर्तों की अनुपूर्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, पंथों और समुदायों से संबंधित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं।"

7. विद्वान अधिवक्तागण की सहायता की सुविधा प्राप्त करने के पश्चात्, अब मैं इसके गुणों एवं अवगुणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूँगा और इसके बाद अंतर्विष्ट विवेचन और तर्कों के आधार पर अपनी राय प्रदान करूँगा।

8. यचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क मुख्य रूप से दो आयामी है, अर्थात् (i) यह कि याचिकाकर्ता के तलाकनामा की तिथि को, अर्थात् 25.12.2014 को, मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार उनके समुदाय में तीन तलाक का कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीका था: (ii) यह कि सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री की मांग करने वाला विज्ञापन का खंड, याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि वह उस विशेष समुदाय से संबंध रखती हैं, जहां मुस्लिम विधि के तहत तलाक की डिक्री की आवश्यकता नहीं होती है।।

9. अब इसके गुणावगुण पर विचार करते हुए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से, आइए हम यह देखें कि क्या विज्ञापन के अनुसार कट ऑफ तिथि को तलाकनामा दिनांक 25.12.2014 एक वैध दस्तावेज था, ताकि याचिकाकर्ता की ओर से बहस किए गए दूसरे तर्क के लाभ की मांग की जा सके।

9.1. तीन तलाक पर नवीनतम स्थिति मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा शासित होती है, जो 01.08.2019 को प्रभावी हुआ था। यह कानून शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अधिनियमित किया गया था, जहाँ एक पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, 3:2 के बहुमत से, तात्कालिक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक, अकृत और शून्य घोषित

किया था। 2019 के अधिनियम के प्रावधान वास्तव में तात्कालिक तीन तलाक को अपराध बनाते हैं। यह अधिनियम तलाक-ए-बिद्द्त (तात्कालिक तीन तलाक) को शून्य और अवैध घोषित करता है, चाहे वह मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में (जैसे, ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से) उच्चारित किया गया हो। कोई भी मुस्लिम पुरुष जो तात्कालिक तीन तलाक उच्चारित करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार, 2019 का अधिनियम विशेष रूप से तात्कालिक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्द्त) को लक्षित करता है, जहाँ एक ही बार में तीन बार तलाक उच्चारित किया जाता है। इस्लामिक विधि के तहत तलाक के अन्य रूप, जैसे कि तलाक-ए-अहसन (एकल उच्चारण जिसके बाद प्रतीक्षा अवधि होती है) और तलाक-ए-हसन (तीन महीनों में तीन उच्चारण), आपराधिक नहीं हैं और वैध बने हुए हैं।

10. इसलिए, तीन तलाक का संविवाद, जो शायरा बानो बनाम भारत संघ में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व एक राष्ट्रव्यापी बहस था, जहाँ मुस्लिम विधि के विशेषज्ञों का एक समूह यह तर्क देता था कि तीन तलाक स्वीकार्य नहीं है जबकि अन्य इसके विपरीत तर्क देते थे, पर पहले ही पूर्ण विराम लगा दिया गया है। शायरा बानो के पश्चात्, तीन तलाक पर आधारित

तलाकनामा एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दस्तावेज नहीं है और स्वीय विधि की प्रथा पर आधारित वैध इस्लामिक तलाक के केवल अन्य रूप तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन हैं।

11. चाहे जो भी हो, भले ही, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व का होने के कारण तलाकनामा को एक वैध दस्तावेज माना जाना था, मैं इस तर्क के दूसरे दावे को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि विज्ञापन के खंड के अनुसार याचिकाकर्ता को किसी भी अदालती डिक्री की मांग करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रासंगिक रूप से, विज्ञापन के उक्त खंड को चुनौती नहीं दी गई है और उक्त खंड के परिशीलन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि दो श्रेणियों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है, अर्थात वे जो विशेष समुदाय से संबंधित रूढ़िजन्य या स्वीय विधि द्वारा शासित होते हैं या अन्य, जो भारत में सामान्य कानून अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम आदि द्वारा शासित होते हैं।

12. आइए हम प्रश्नगत प्रासंगिक विज्ञापन खंड को देखें, जिसका अनुवाद इस प्रकार है:-

"*11.*1

v. विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी जब तक कि वे आधिवार्षिकी की आयु तक नहीं पहुँच जातीं।:

स्पष्टीकरण: विधवा होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाक की स्थिति में, नियमों के अनुसार तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

11.2 आरक्षण मानदंड:-

i. - vii xxxx xxxx xxxx

viii. विधवा/तलाकशुदा महिला, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट एथलीटों के लिए प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया जाना चाहिए; अन्यथा, अंतिम तिथि के बाद जारी प्र*माण पत्र वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के लिए श्रेणी-विशिष्ट लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे और इस संबंध में किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।*

ix. <u>तलाकशुदा महिलाओं की श्रेणी के तहत लाभ केवल तभी स्वीकार्य होंगे यदि कानून के अनुसार</u> एक सक्षम न्यायालय द्वारा इस आशय का कोई आदेश पारित किया गया हो। एक विधवा को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति के नाम से संबंध दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, विधवा/तलाकशुदा श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(बल दिया गया)

13. यह खंड अत्यंत सुस्पष्ट है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जो लोग तलाकशुदा होने के लाभ की मांग कर रहे हैं, उनके पास एक सक्षम न्यायालय का आदेश/डिक्री होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों न हों। इसमें ऐसी कोई विशेष शर्त नहीं है कि जो लोग किसी रूढ़िजन्य कानून के लाभ का दावा करते हैं, उन्हें डिक्री प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।

14. इसके परिप्रेक्ष्य में, मेरा यह मत है कि यहाँ वास्तविक विवाद यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता के समुदाय में एक प्रचलित प्रथा, तीन तलाक को तलाकशुदा के रूप में माना जाना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या विज्ञापन के

खंड के अनुसार डिक्री अनिवार्य रूप से आवश्यक है? उत्तरवर्ती भाग में अभिलिखित मेरी विवेचना और तर्कों के साथ इस न्यायालय के पूर्वोक्त संगीता वरहात के मामले में खंडपीठ के निर्णय को मिलाकर पढ़ने पर, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है।

15. परिणामस्वरूप, याचिका किसी भी गुणावगुण से रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

16. लंबित आदेवन, कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

60-ए.के. चौहान/-

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ/नहीं

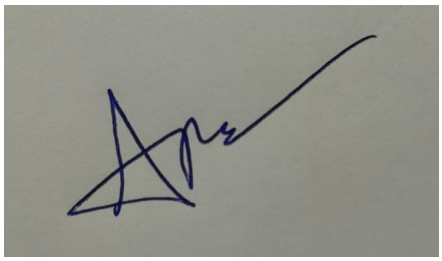
संदर्भ:

1. 2020 0 सुप्रीम (राज) 187, 07.01.2020 को निर्णय लिया गया

2. 2022 0 सुप्रीम (राज) 771

3. (2017) 9 एससीसी 1- दिनांक 22 अगस्त, 2017,

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान